

24.11.21

Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

पुष्पिन्द्र सिंह बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल आर एक्ट

नम्बर

382

सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
24.11.2021	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>रायसिंहनगर</u>                      रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/1404                      दिनांक <u>24.11.21</u> के द्वारा प्रशासन गांवों के संग                      अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>को.पू.वा.ता.</u>                      में प्रार्थी के नाम चक <u>26.P.S.B.</u> की जमावदी सम्वत्  <u>2073-2076</u> के खाता सं. <u>74</u> में  <del>पुष्पिन्द्र सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह जाति जलधिष</del>  <del>राज P.S. वा.ता.</del>                      के स्थान पर <u>पुष्पिन्द्र सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह</u></p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की गयी है।                      प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प                      कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार                      दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति                      जाहिर नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार/नायब                      तहसीलदार <u>RSMK</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा                      के आधार पर वाके चक <u>26.P.S.B.</u> तहसील                      रायसिंहनगर की जमावदी सम्वत् <u>2073-2076</u>                      के खाता सं. <u>74</u> में <u>पुष्पिन्द्र सिंह पुत्र</u>  <del>देवेन्द्र सिंह जाति जलधिष</del> <u>राज P.S.</u>  <del>वा.ता.</del> के स्थान पर  <u>पुष्पिन्द्र सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह</u></p> <p>की दुरुस्ती करने                      के आदेश दिए जाते हैं। शेष अकन बदस्तूर रहेगा। इसी                      अनुसार राजस्व-रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय                      का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो।                      पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।                      आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)  
उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर